न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/74/2016

उनवान

1. शक्तिसिंह पिता दुल्लेसिंह राजपूत उम्र–वयस्क, निवासी इटावा तहसील कोटडी
2. महेन्द्रसिंह पिता दुल्लेसिंह राजपूत उम्र–वयस्क, निवासी इटावा तहसील कोटड़ी
3. करणसिंह पिता दुल्लेसिंह राजपूत उम्र–वयस्क, निवासी इटावा तहसील कोटही

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. रघुवीरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत मृतक के बजाए–
   1/1– नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी ईटावा, पोस्ट गुन्दली, तहसील कोटडी, जिला शाहपुरा
2. गिरधर सिंह उर्फ भंवर सिंह पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी ईटावा, पोस्ट गुन्दली, तहसील कोटडी, जिला शाहपुरा मृतक के बजाए –
   2/1– श्रीमती कल्याण कंवर पत्नी गिरधरसिंह उर्फ भंवरसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत उम्र–वयस्क निवासी इटावा तहसील कोटड़ी
   2/2– दुर्गासिंह पिता गिरवरसिंह उर्फ भंवरसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत उम्र–वयस्क निवासी इटावा तहसील कोटड़ी
   2/3– रामभंवर सिंह पिता गिरधरसिंह उर्फ भंवरसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत उम्र–वयस्क निवासी इटावा तहसील कोटड़ी
   2/4– भगवत सिंह पिता गिरधरसिंह उर्फ भंवरसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत उम्र–वयस्क निवासी इटावा तहसील कोटड़ी
   2/5– श्रीमती तंवर कंवर पत्नी दुर्गेष सिंह राठौड़ पिता गिरधरसिंह उर्फ भंवरसिंह उम्र–वयस्क निवासी इटावा हॉल मु. पो. सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर
   2/6– श्रीमती गोविन्द कंवर पत्नी कुलदीप सिंह राजावत गिरधरसिंह उर्फ भंवरसिंह राजपूत उम्र–वयस्क निवासी इटावा हॉल रावली तहसील निवाई जिला टोंक
   2/7– आनंद कंवर पत्नी रघुवीरसिंह जी राजपुत उम्र–वयस्क निवासी ईटावा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, कोटडी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

के प्रकरण संख्या 118/2011 निर्णय एवं डिक्री 29.2.2016

अभिभाषक :

1. श्री दिनेश सिसोदिया , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री त्रिलोक चन्द नौलखा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक 17.3.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि मौजा इटावा में स्थित होकर राजस्व अभिलेखों में आराजी खसरा नम्बर 517/18 से अभिलिखित है।

2. वादी के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का विवादित कृषि भूमि से कोई संबंध नहीं है न ही यह भ्झूमि किसी अन्य को कानूनी रूप से विकय की हुई है जिससे की केता अथवा प्रतिवादीगण को इस भूमि बाबत स्वामित्व अथवा कब्जेयाबी के अधिकार प्राप्त हो गये हो।

3. वादीगण निरन्तर भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि बाबत उनका उपयोग उपभोग जारी है।

4. प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर अनुचित रूप से हस्तक्षेप कर काबिज होने पर उतारू हैं व प्रतिवादीगण वादीगण को भूमि से बेदखल करने की धमकी देते रहते है । वादीगण द्वारा विरोध करने पर भूमि को समूल रूप से नष्टप्रायः कर देने पर उतारू है।

5. वादीगण शिक्षित होकर अनुचित रूप से किसी प्रकार का विवाद नही बढाना चाहते फिर भी वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि को नष्ट करने बाबत दी जा रही धमकियों से भूमि की उपयोगिता नष्ट कर दिये जाने एवं वादीगण की बेदखली का खतना बना हुआ है जो निरन्तर होकर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को कभी भी बेदखल करने के लिए पर्याप्त है।

6. प्रतिवादीगण को उनके अवैध कृत्य से रोकने के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा अनावश्यक मुकदमे बाजी बढने की पूर्ण संभावना है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

7. दिनांक 22.7.1991 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उनके खेतों में प्रवेश करने से रोकने के कारण बिनाय वाद उत्पन्न हो सतत रूप से जारी है।

8. अतः निवेदन है कि मौजा इटावा स्थित वादीगण के खाते की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 517/18 रकबा 7 बीघा में किसी प्रकार से अतिचार नहीं करने उसे नष्ट प्रायः नहीं करने किसी प्रकार से कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई जावे।

9. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.2.2016 द्वारा वाद पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

10. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को प्रथमदष्टया ही देखने पर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली एवं निष्पक्षता पर अपने आप प्रश्नचिन्ह लग जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय की घोर लापरवाही अनियमितता को उजागर कर देती है क्योंकि प्रकरण हाजा में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 6.3.2014 ककी पेशी नियत थी उस दिन पीठासीन अधिकारी के अन्य राजस्व कार्यो में दोनो पर होने के कारण पत्रावली दिनांक 10.7.2014 को सुनवाई हेतु नियत की गई किन्तु 10.7.2014 से लेकर दिनांक 30.07.2015 तक प्रकरण हाजा में कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं किया जाना अधिनस्थ न्यायालय की घोर लापरवाही एवं संवेदनशीलता का एक अनुठा उदाहरण है जो न्यायिक प्रक्रिया में किसी कदर क्षम्य नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं प्रकरण हाजा में 10.07.2014 की पेशी नियत थी तो फिर उस दिन प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी उस बाबत् तनिक भी आदेशिका विवरण आदि न तो लिखी गयी न उसका कोई उल्लेख ही किया गया जो अधिनस्थ न्यायालय की लालफिताशाही, लापरवाही का एक अनुठा उदाहरण प्रस्तुत कर आलोच्य निर्णय नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जब प्रकरण हाजा में कोई किसी प्रकार की तारीख पेशी दिनांक 30.07.2015 को अधिनस्य न्यायालय द्वारा नियत ही नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

की गयी तो फिर किस प्रकार एवं कैसे उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी जी के समक्ष पत्रावली पेश हुयी इस संबंध में कोई किसी प्रकार का प्रार्थनापत्र किसी भी पक्षकार द्वारा पत्रावली को प्रस्तुत करने बाबत् प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ऐसा कोई कारण पत्रावली पर उल्लेखित है जिसके तहत उक्त पत्रावली उस दिन तलब की गयी हो अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आचरण विधि के तहत कतई न्यायोचित एवं विधिसंगत न होकर एक प्रकार से पक्षपात पूर्ण ज्यादा लगता है यहां यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि प्रकरण हाजा में अपीलान्ट वादीगण की और से कई मर्तबा बहस की गयी तथा पत्रावली में निर्णय पारित करने हेतु नियत किया जाना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक रूप से अपीलान्ट वादीगण को बताया जाता रहा किन्तु कोई निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न करने पर अपीलाब्ट वादीगण ने प्रकरण हाजा में हुयी मौखिक बहस को काफी लम्बा समय व्यतीत हो जाने के कारण पुनः लिखित बहस अवश्य दिनांक 30.07.2015 को प्रस्तुत की गयी जिसकी नकल रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता को दी गयी जिस पर रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने आगामी तारीख पेशी पर रेस्पोडेन्ट की और से भी लिखित बहस प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया जो कालान्तर में प्रस्तुत भी की गयी अर्थात दिनांक 30.07.2015 को कोई किसी प्रकार की लिखित बहस रेस्पोडेन्ट की और से प्रस्तुत नहीं की गयी बल्कि उक्त तारीख पेशी के लगभग 2 माह बाद प्रस्तुत की गयी तो फिर 30.07. 2015 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करना व्यायिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाने के साथ–साथ न्यायिक गरिमा को ठेस पहुँचाना भी है इतना ही नहीं उक्त लिखित बहस प्रस्तुत करने के उपरांत अपीलान्टवादीगण द्वारा समय समय पर प्रकरण में निर्णय की जानकारी चाहने पर कोई जानकारी नहीं दी गयी साथ ही जहां तक अपीलान्ट को अच्छी तरह से ज्ञात है जनवरी 2016 तक भी प्रकरण हाजा में निर्णय पारित नहीं किया गया। क्योंकि जनवरी माह में भी अपीलान्ट वादीगण ने प्रकरण हाजा में निर्णय अथवा आगामी तारीख पेशी नियत बाबत् अधिनस्थ न्यायालय से जानकारी चाही तो उन्होने शीघ्र ही निर्णय पारित करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार दिनांक 30.07.2015 को पारित आलोच्य निर्णय उक्त दिन दिनांक को पारित न कर जनवरी फरवरी माह में संभवतया पारित किया गया है जो कतई न्यायसंगत एवं विधि के मान्य सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है साथ ही उक्त निर्णय को प्रथम दृष्टया ही देखने से उक्त निर्णय पारित करने में घोर अनियमितता घोर लापरवाही एवं अवैधानिकता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कारित करने के साथ–साथ अधिनस्थ न्यायालय की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगवा देती है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायिक सिद्धान्तों के एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों साक्ष्य का रंचित मात्र भी अवलोकन न कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अपने तही गलत विवेचन एवं विश्लेषण कर आलोच्य निर्णय पारित करने में भारी विधिक भूल की है साथ ही जो लिखित बहस एवं उसके साथ जो नजीरात अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी उन्हे भी अधिनस्थ व्यायालय ने देखने तक का श्रम तक नहीं किया। इतना ही नहीं अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया एवं न तनकियात अभिवचनों के आधार पर सही कायम की जाकर उनका भार सबूत भी सही कायम नहीं किया गया जिसके कारण अपीलान्ट प्रिज्यूडिश रहे है इस कारण पत्रावली पुनः अभिवचनों के आधार पर सही तनकीयात की रचना करते हुये अजसरेनो निर्णय की मोहताज है इस हेतु पत्रावली पुनः अधिनस्य न्यायालय में काबिल रिमाण्ड के है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वादीगण की और से जब यह स्पष्ट अंकन किया गया कि अपीलान्ट वादीगण को विवादित आराजियात से दिनांक 15.06.1992 को जबरन बेदखल कर कब्जा कर लिया है इस कारण पुनः कब्जा दिलाया जावे। इस संदर्भ में एक प्रार्थनापत्र दिनांक 07. 06.1994 को अपीलान्ट वादीगण की और अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 05.07.1995 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार जो कब्जा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी का विवादित आराजियात पर चला आ रहा है वह दौराने वाद अवैध तरीके से किया गया है तो फिर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने तथाकथित आलोच्य निर्णय में यह अंकित करना कि वादीगण का कोई कब्जा वादग्रस्त आराजियात पर नहीं होने से अपीलान्ट वादीगण के वाद को खारिज करने में भारी विधिक भूल की है वैसे भी विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक रेकार्डड खातेदार काश्तकार के हमेशा उक्त आराजियात पर कब्जा व दखल होने की अवधारणा कानूनन की जाती है जहां तक पूर्व में चले प्रकरण का संबंध है तो उस बाबत् निवेदन है कि बकौल रेस्पोडेन्ट वाद संख्या 146/1987 खारिज किया गया किन्तु आपसी मौखिक हुये समझोते से रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वादीगण एवं उनके पूर्वजों को पुनः सिपूर्द कर दिये जाने से ही अपीलान्ट पुनः उक्त आराजियात पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज चले आ रहे थे जिसे पुनः रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 22.07.1991 को बेदखल करने हेतु आमादा होने पर अपीलान्ट वादीगण की और से मौजूदा वाद पेश किया गया है इस प्रकार दायरी दावे के वक्त अपीलान्ट वादीगण विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर काबिज चले आ रहे थे ऐसी हालत में वादीगण का वाद काबिल डिकी के होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद खारिज करने का मानस बना आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित करने में भारी विधिक भूल की है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी संख्या 1 का निर्णय अपीलान्ट वादीगण के पक्ष में न कर विरूद्ध करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है यह निर्विवाद है कि अपीलान्ट वादीगण को आराजी संख्या 517ध्4 रकबा 07 बीघा, जिसके संशोधित आराजी संख्या 517/18 कायम किये गये, विधिवत आवंटित की गयी तथा आवंटन उपरांत खातेदारी अधिकार अपीलान्ट वादीगण अथवा उनके पूर्वजों को विधिवत दिये गये है जो अव्वल तो उक्त आराजियात पर अपीलान्ट का ही कब्जा होने का अपने आप में प्रमाणित है दोयम रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी को भी उसके उपरांत 07 बीघा आराजियात आराजी संख्या 517/5 में से आवंटित की गयी जिसके संशोधित नम्बर 517/19 कायम हुये है और प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट 517/19 के रेकार्डड खातेदार काश्तकार है तथा खातेदारी अधिकार भी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी को 517/19 के ही दिये गये है तो फिर आराजी संख्या 517/18 से रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी का कोई संबंध वास्ता नहीं रहता है और उक्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से पूर्णतया सिद्ध होते हुये भी अर्थात अपीलान्ट वादीगण का वाद काबिल डिकी के होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों एवं साक्ष्य का सही ढंग से विवेचन एवं विश्लेषण न कर भारी विधिक भूल की है।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलान्ट वादी के पक्ष में न कर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के पक्ष में करने में भारी विधिक भूल की है जब स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने इस तनकी के संबंध में पारित अपने आलोच्य निर्णय में यह अंकित किया है कि जमाबन्दी आराजी संख्या 517/19 की पेश की जो प्रतिवादी नम्बर 2 को सन 1968 में आवंटन हुयी एवं मौके पर नियमानुसार कब्जा सौंपा गया तभी से कब्जा चल रहा है तो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

फिर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी का कब्जा आराजी संख्या 517/18 पर कैसे एवं किस प्रकार हो सकता है जबकि उक्त आराजियात अपीलान्ट वादीगण को विधिवत आवंटन हुयी है ऐसी हालत में उक्त तनकी कतई रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण द्वारा अपनी किसी भी प्रकार की साक्ष्य से सिद्ध नहीं की गयी है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये उक्त तनकी का निर्णय रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध नहीं करने में भारी विधिक भूल की है।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी संख्या 4 को अपीलान्ट वादीगण द्वारा अपने अभिवचनों एवं साक्ष्य से पूर्णतया सिद्ध किया गया फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.07.1991 से बिनायवाद उत्पन्न होना नहीं मानते हुये अपीलान्ट वादीगण का वाद ही खारिज कर दिया अधिनस्य न्यायालय का उक्त अभिमत पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों के ठीक विपरीत है अपीलान्ट वादीगण ने अपने वाद की चरण संख्या 8 में स्पष्ट अंकन किया कि दिनांक 22.07.1991 को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण ने वादीगण को खेतों में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया जिसका कोई किसी प्रकार का विशिष्ट खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं किया गया है जो उक्त तथ्य को अपने आप स्वीकारोक्ति की परिधि में आ जाता है इस प्रकार उक्त तनकी का निर्णय भी अपीलान्ट के विरूद्ध करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी संख्या 6 का निर्णय भी अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके से अपीलान्ट के विरूद्ध किया है जब बिनायवाद दिनांक 22.07. 1991 को उत्पन्न हुयी है और निर्विवाद रूप से यह दावा दिनांक 05.08. 1991 को प्रस्तुत किया गया है जो अंदर अवधि वा व है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के वाद को वैरून मियाद मान खारिज करने में भारी विधिक भूल की है।

19. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी संख्या 7 का निर्णय रेस्पोडेन्ट के पक्ष में करने में भूल की है अव्वल तो उक्त वाद में अपीलाब्ट अधिनस्य न्यायालय में पक्षकार नहीं है इस कारण पारित निर्णय कतई बाध्यकारी नहीं है दोयम उक्त वाद 22.07.1991 के घटनाक्रम के आधार पर मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है और खातेदार एवं कब्जा दायरी दावे के वक्त अपीलान्ट वादीगण का था ऐसी हालत में स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में दायरी दावे के दौरान खातेदार होना अथवा कब्जा होना ही प्रथम दृष्ट्या देखना होता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है ऐसी हालत में उक्त तनकी अपीलान्ट के विरूद्ध तय करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है।

20. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी संख्या 8 व 9 एक ही दाद से संबंध रखती है जिसका निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है अपीलान्ट वादीगण दायरी दावे के वक्त काबिल खातेदार कृषक थे तथा दौराने वाद ही रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया इस कारण अपीलान्ट पुनः कब्जा प्राप्त करने के भी अधिकारी थे और उक्त सम्पूर्णत तथ्यों को अपीलान्ट ने अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य से सिद्ध एवं प्रमाणित कराया फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वाद का डिकी न कर खारिज करने में भारी विधिक भूल की है।

21. अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट वादीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 30.07. 2015 एवं पारित डिकी दिनांक 29.02.2016 को अपास्त फरमाते हुये अपीलान्ट वादीगण का वाद रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण का वाद डिकी किया जावे अथवा यदि न्यायालय पत्रावली को मोहताजे सबूत समझे तो पुनः अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड की जावे।

22. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील मेमों में कॉज आफ एक्शन की जो दिनांक लिखी है उससे पूर्व का एक मौका पर्चा है। जो पद्रर्श 3 पर अंकित है। जिसमें कब्जे संबंधी पटवारी की टिप्पणी की गई है कि प्रतिवादी एक का कब्जा चला आ रहा है। पूरे वाद पत्र में पूर्व न्यायालय में प्रकरणों का अंकन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय का मार्ग है । तो यह आरोप लगाना कि आदेशिका में कांट छांट की गई है। यह गलत है। पत्रावली पर आदेशिका पर वादी लगातार उपस्थित रहा है। प्रकरण में जवाब पेश हुआ व तनकी बनी है। साक्ष्य का अवसर दिया है। इस प्रकार वादी को सम्पूर्ण अवसर दिया गया है। दोनों पक्षों की उपस्थिति में तनकी कायम की है। तनकी पर वादी की कोई आपत्ति रेकार्ड पर नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन की दिनांक को वादी द्वारा यह कथन की जबरन कब्जा करना जबकि इससे पूर्व की रिपोर्ट में है कि वादी का कब्जा नहीं है। पूर्व प्रकरण 146/87 में उसके निर्णय व समझौते का अंकन किया । उसका दस्तावेज रेकार्ड पर नहीं है। आवंटनआराजी नम्बर 517/4 हुईथी जो प्रदर्श ए 1 पर है । लेकिन राजस्व रेकार्ड में 518/18 लिखा है जिसका कोई आधार नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

23. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादियों ने दस दस्तावेज प्रदर्श करवाये जबकि वादी ने जमाबंदी व नक्शा पेश किये व मेरे दस्तावेजों के विरूद्ध दस्तावेज पेश नहीं किये। प्रस्तुत वाद से कब्जा संबंधी स्पष्ट अंकन है कि किसका कब्जा है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसमें लागू नहीं होता है। क्योंकि वर्ष 1977 से मेरा कब्जा है। मेरे द्वारा जवाब में यह अंकन किया गया है व इसी अनुसार तनकी बनाकर विश्लेषण के साथ निर्णय किया गया है। वादी का कब्जा नहीं है तो धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रिलिफ नहीं दी जा सकती है व अपील को खारिज की जावे।

24. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने रिबटल में निवेदन किया कि पूर्व प्रकरण का निस्तारण हो गया तो टाईम बार्ड नहीं है। पटवारी ने किसके आदेश से मौका बनाया । यह प्रमाणित नहीं है।

25. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार दोनों पक्षों को प्रकरण में विधिवत सुना गया है। जवाब के आधार पर कानूनी बिन्दु/तनकियात कायम की गई है। साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया गया है। प्रत्येक तनकी का राजस्व रेकार्ड व साक्ष्य के आधार पर विस्तृत विवेचन करते हुए विनिश्चय किया गया है। प्रकरण के पास अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। जिस पर कानूनी बिन्दुओं का विवेचन कर वाद पर विधिक विवेचन कर स्पष्ट विस्तृत आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

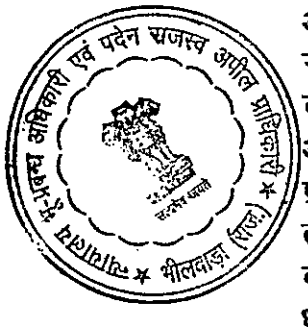

आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण साररीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.2.2016 को यथावत रखा जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

26. आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 17.3.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/77/2016

उनवान

1. शक्तिसिंह पिता दुल्लेसिंह राजपूत उम्र–वयस्क, निवासी इटावा तहसील कोटडी
2. महेन्द्रसिंह पिता दुल्लेसिंह राजपूत उम्र–वयस्क, निवासी इटावा तहसील कोटड़ी
3. करणसिंह पिता दुल्लेसिंह राजपूत उम्र–वयस्क, निवासी इटावा तहसील कोटही

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. रघुवीरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत मृतक के बजाए–
1/1– नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी ईटावा, पोस्ट गुन्दली, तहसील कोटडी, जिला शाहपुरा
2. गिरधर सिंह उर्फ भंवर सिंह पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी ईटावा, पोस्ट गुन्दली, तहसील कोटडी, जिला शाहपुरा मृतक के बजाए –
2/1– श्रीमती कल्याण कंवर पत्नी गिरधरसिंह उर्फ भंवरसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत उम्र–वयस्क निवासी इटावा तहसील कोटड़ी
2/2– दुर्गासिंह पिता गिरवरसिंह उर्फ भंवरसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत उम्र–वयस्क निवासी इटावा तहसील कोटड़ी
2/3– रामभंवर सिंह पिता गिरधरसिंह उर्फ भंवरसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत उम्र–वयस्क निवासी इटावा तहसील कोटड़ी
2/4– भगवत सिंह पिता गिरधरसिंह उर्फ भंवरसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत उम्र–वयस्क निवासी इटावा तहसील कोटड़ी
2/5– श्रीमती तंवर कंवर पत्नी दुर्गेष सिंह राठौड़ पिता गिरधरसिंह उर्फ भंवरसिंह उम्र–वयस्क निवासी इटावा हॉल मु. पो. सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर
2/6– श्रीमती गोविन्द कंवर पत्नी कुलदीप सिंह राजावत गिरधरसिंह उर्फ भंवरसिंह राजपूत उम्र–वयस्क निवासी इटावा हॉल रावली तहसील निवाई जिला टोंक
2/7– आंनद कंवर पत्नी रघुवीरसिंह जी राजपुत उम्र–वयस्क निवासी ईटावा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, कोटडी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

के प्रकरण संख्या 118/2011 निर्णय एवं डिक्री 29.2.2016

अभिभाषक :

1. श्री दिनेश सिसोदिया , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री त्रिलोक चन्द नौलखा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/74/2016 मे उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 17.3.2026 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दिनेश सिसोदिया वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिलोक चन्द नौलखा की उपस्थिति मे दिनांक 17.3.2026 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण साररीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 29.2.2016 को यथावत रखा जाता है। ¸1

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 17.3.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

(पी0आर0मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस